निगम भिलाई सीमा क्षेत्र में पशुवध गृह एवं मांस विक्रय दुकानें बंद रहेगी

भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेशानुसार नगर पालिक निगम, भिलाई सीमा के अन्तर्गत संचालित पशुवध गृह एवं समस्त मांस विक्रय की दुकानें अगस्त माह के 2 तिथियों में बंद रहेगी। शासन से जारी आदेश के तहत स्वतंत्रता दिवस 15.08.2025 दिन शुक्रवार एवं कृष्ण जन्माष्टमी 16.08. 2025 दिन शनिवार को समस्त पशुवध गृह जीव हत्या एवं समस्त मांस बिक्री केन्द्र को बंद रखा जाएगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है।